भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 734

दिनांक 26 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए

महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

734. श्री उम्मेदा राम बेनीवाल:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में स्थित अधिकांश आंगनवाड़ी केंद्रों में सरकारी भवनों और मूलभूत सुविधाओं का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उपरोक्त मुद्दे को हल करने के लिए सरकार की क्या नीति है;

(ग) क्या सरकार नियमित कामगारों की तर्ज पर महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को वेतनमान और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई अधिनियम अधिनियमित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) और (ख): सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के दायरे में आता है। एपीआईपी आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में कुल 13.95 लाख आंगनवाड़ी केंद्र कार्यशील हैं जिनमें से 3.33 लाख किराए के परिसर में हैं। राजस्थान में 61885 आंगनवाड़ी केंद्र कार्यशील हैं जिनमें से 8456 किराए के परिसर में हैं।

भारत सरकार ने बार-बार राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से सरकारी स्वामित्व वाले भवनों में आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई है कि यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं कि किराए के परिसर में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र सभी बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित हों अन्यथा मौजूदा परिसर को किराये पर नहीं लिया जा सकता है।

आंगनवाड़ी केंद्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार हेतु मनरेगा के साथ तालमेल करके आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए लागत मानदंड 12 लाख रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र है, जिसमें 8.00 लाख रुपये मनरेगा के तहत, 2.00 लाख रुपये 15वें वित्त आयोग (या किसी अन्य असंबद्ध निधि) के तहत और 2.00 लाख रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाएंगे जिसे निर्धारित लागत साझेदारी अनुपात में केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच साझा किया जाएगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे एमपीएलएडी, आरआईडीएफ, पंचायती राज संस्थाओं को वित्त आयोग अनुदान, नरेगा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के एमएसडीपी आदि जैसी विभिन्न योजनाओं से आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए धन जुटाना जारी रखें।

आंगनवाड़ी केंद्रों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार हेतु मंत्रालय द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रति आंगनवाड़ी केंद्र पेयजल सुविधाओं और शौचालयों के निर्माण की स्वीकृत लागत को क्रमशः 10,000/- रुपये से बढ़ाकर 17,000/- रुपये और 12,000/- रुपये से बढ़ाकर 36,000/- रुपये करना शामिल है।

मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश जारी किए हैं कि वे उन आंगनवाड़ी केंद्रों को, जो पर्याप्त बुनियादी ढांचे के बिना किराए पर चल रहे हैं उन्हें निकटवर्ती प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थापित करें।

(ग) से (ङ): वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिका (एडब्ल्यूएच) स्थानीय समुदाय से "अवैतनिक कार्यकर्ता" हैं जो समुदाय की मदद करने के लिए बाल देखभाल और विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने हेतु स्वेच्छा से आगे आती हैं। हालांकि, एडब्ल्यूडब्ल्यू/एडब्ल्यूएच की सेवा शर्तों को तय करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राथमिक प्राधिकारी हैं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न उपाय/पहलें की गई हैं जैसे:-

(i) पदोन्नति: मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए पदोन्नति के अवसरों को बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के 50% पद 5 साल के अनुभव वाली आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा भरे जाने हैं और पर्यवेक्षकों के 50% पद 5 साल के अनुभव वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं जो अन्य मानदंडों को पूरा करने के अधीन हैं।

(ii) सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को 2.00 लाख रुपये की जीवन सुरक्षा (जीवन जोखिम, किसी भी कारण से मृत्यु को कवर करते हुए) के लिए बीमा लाभ प्रदान किया गया है और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18-59 वर्ष की आयु की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को 2.00 लाख रुपये (आकस्मिक मृत्यु और स्थायी पूर्ण

विकलांगता)/ 1.00 लाख रुपये (आंशिक किंतु स्थायी विकलांगता) की दुर्घटना सुरक्षा प्रदान की गई है।

(iii) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत बीमा सुरक्षा: कोविड-19 से संबंधित कार्यों में लगी हुई आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को कुछ शर्तों के साथ "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज" के तहत 50 लाख रुपये की बीमा सुरक्षा प्रदान की गई है।

(iv) प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम): राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाडी सहायिकाओं को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना जो देश में असंगठित क्षेत्र हेतु एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है के अंतर्गत नामांकन कराने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

(v) आयुष्मान भारत के तहत कवरेज: वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज देने की घोषणा की गई है।

(vi) सेवानिवृत्ति तिथि: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित मानव संसाधन नियोजन सुनिश्चित करने और रिक्तियों की संख्या को कम करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के संबंध में प्रत्येक वर्ष की 30 अप्रैल की समान सेवानिवृत्ति तिथि को अपनाएं।

****